छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दांडिक याचिका (विविध) क्रमांक 508/2023

संतोष कुमार यादव आत्मज विष्णु राम, आयु 35 वर्ष,
निवासी – विकास जनरल स्टोर्स के पास कुसमी, जिला सरगुजा (छ.ग.)
वर्तमान निवासी पुरानी टोली, जशपुर, थाना जशपुर, जिला जशपुर,
छत्तीसगढ़

... ... .याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ईश्वर यादव आत्मज श्री संतु राम यादव,
निवासी चिड़ बगीचा, जशपुर नगर, तहसील व जिला जशपुर
छत्तीसगढ़

... ... .उत्तरदाता

याचिकाकर्ता द्वारा – श्री कृपेश जी. केला, अधिवक्ता
उत्तरदाता द्वारा – श्री जे.के. सक्सेना, अधिवक्ता ।

(एकल पीठ–माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतीम साहू)
आदेश पीठ से पारित

10.05.2023

1. याचिकाकर्ता ने यह याचिका द०प्र०संहिता 1973 की धारा 482 के अधीन क्रिमिनल अपील क्रमांक 33/2022 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2023 को चुनौती देते हुये पेश किया है, जिसके द्वारा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जशपुर के द्वारा याचिकाकर्ता को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (इसके पश्चात 1881 का अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 148 के निबंधनों के अधीन, याचिकाकर्ता को प्रतिकर की राशि में से 20 प्रतिशत की राशि को जमा करने का निर्देश दिया गया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि याचिकाकर्ता को 1881 के अधिनियम की धारा 138 के अधीन दोषी ठहराया गया था और उसे एक वर्ष की अवधि के लिये कठोर कारावास तथा 2,20,000/– रुपये के प्रतिकर (दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 357 के निबंधनों के अधीन) का दण्डादेश दिया गया था और आगे कहा गया था कि यदि प्रतिकर की राशि तीन महीने की अवधि के भीतर अदा नहीं की जाती है, तो याचिकाकर्ता को अतिरिक्त छह महीने का साधारण कारावास से गुजरना होगा।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का निवेदन है कि दिनांक 16.11.2022 के दोषसिद्धी के निर्णय को सत्र न्यायाधीश जशपुर के न्यायालय

के समक्ष आपराधिक अपील प्रस्तुत कर चुनौती दी गई थी और उक्त अपील को दिनांक 25.11.2022 के आदेशानुसार सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया तथा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 389 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये आवेदन को स्वीकार करते हुये अपीलकर्ता के मूल कारावास के दण्ड को आदेश में उल्लेखित नियमों और शर्तो के अधीन निलंबित कर दिया गया था। किन्तु याचिकाकर्ता आदेश दिनांक 31.01.2023 में दर्शाये अनुसार जमानत बंध पत्र और प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं कर सका और उक्त दिनांक को विद्वान अपीलीय न्यायालय ने शिकायकर्ता की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत किये बिना याचिकाकर्ता को अंतरिम प्रतिकर का निर्देश दिया गया । उसके द्वारा यह निवेदन किया गया कि शिकायतकर्ता की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत किये बिना विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश 1881 के अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है, आक्षेपित आदेश दिनांक 31.01.2023 को निरस्त किया जावे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादी के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के निवेदन का विरोध करते हुये यह निवेदन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने धारा 148 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर सही आदेश पारित किया है और उसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

5. मेरे द्वारा दोनो पक्ष के वकीलो को सुना गया और रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया मुख्य आधार यह है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय को शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी आवेदन के बिना धारा 148 के अधीन आदेश पारित नहीं करना था और दिनांक 31.01.2023 के आदेश में याचिकाकर्ता को मुआवजे की राशि का 20% जमा करने का दिया गया निर्देश, विधि के उपबंधों के विपरीत है । धारा 148 के तहत प्रावधान 2018 के संशोधन अधिनियम 20 के माध्यम से लाए गए हैं और इसी तरह धारा 143 ए को भी 2018 के संशोधन अधिनियम 20 द्वारा शामिल किया गया है। परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 148 के तहत प्रावधान तत्काल संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं: –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "**148 : दोषसिद्ध के विरूद्ध अपील के लंबित रहते संदाय का आदेश करने की अपील न्यायालय की शक्ति –** (1) दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 138 के अधीन दोषसिद्धि के विरूद्ध लेखीवाल द्वारा की गई किसी अपील में अपील न्यायालय, अपीलार्थी को ऐसी राशि जमा कराने का आदेश कर सकेगा, जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्मना या प्रतिकर का न्यूनतम बीस

प्रतिशत होगी :

परन्तु इस धारा के अधीन संदेय रकम, धारा 143 क के अधीन अपीलार्थी द्वारा संदत्त किसी भी अंतरिम प्रतिकर के अतिरिक्त होगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तीस दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निदेश दिया जाए, जमा कराई जाएगी ।

(3) अपील न्यायालय, अपील के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम को परिवादी को देने का निदेश दे सकेगा :

परन्तु यदि अपीलार्थी दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो न्यायालय, परिवादी को, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तीस दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निदेश दिया जाए, सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर प्रचलित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा प्रकाशित बैंक दर पर ब्याज सहित इस प्रकार दी गई रकम का अपीलार्थी को प्रतिसंदाय करने का निदेश देगा ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 148 में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जैसा कि 2018 के संशोधन अधिनियम 20

के माध्यम से संशोधित किया गया है, इस प्रकार है: –

> "परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881(अधिनियम) को वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक से संबंधित कानून को परिभाषित करने और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम में समय–समय पर संशोधन किया गया है ताकि चेक के अनादर के अपराध से संबंधित मामलों का त्वरित निपटान किया जा सके। हालांकि, केंद्र सरकार को चेक अनादर के लंबित मामलों से संबंधित व्यापारिक समुदाय सहित जनता से कई अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा बेईमान चेक जारी करने वालों की देरी की रणनीति के कारण होता है, क्योंकि अपील दायर करना और कार्यवाही पर स्थगन प्राप्त करना आसान होता है। इसके परिणामस्वरूप, अनादरित चेक के प्राप्तकर्ता के साथ अन्याय होता है, जिसे चेक का मूल्य प्राप्त करने के लिए अदालती कार्यवाही में काफी समय और संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। इस तरह की देरी चेक लेनदेन की पवित्रता से समझौता करती है।
>
> 2. चेक अनादर मामलों के अंतिम समाधान में अनावश्यक देरी के मुद्दे को संबोधित करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि अनादरित चेक के भुगतानकर्ताओं को राहत प्रदान की जा सके और तुच्छ और अनावश्यक मुकदमेबाजी को हतोत्साहित किया जा सके,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिससे समय और धन की बचत होगी। प्रस्तावित संशोधन चेक की विश्वसनीयता को मजबूत करेंगे और बैंकों सहित ऋण देने वाली संस्थाओं को अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को वित्तपोषण जारी रखने की अनुमति देकर सामान्य रूप से व्यापार और वाणिज्य में मदद करेंगे।

3. अतः, अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान करने हेतु परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2017 को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है, अर्थात्:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) उक्त अधिनियम में एक नई धारा 143–ए अंतःस्थापित करना, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 138 के अधीन अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय , चेक जारी करने वाले को अंतरिम प्रतिकर देने का आदेश दे सकेगा। शिकायतकर्ता, संक्षिप्त सुनवाई या समन मामले में, जहां वह शिकायत में लगाए गए आरोप के लिए दोषी नहीं होने का दावा करता है; और किसी अन्य मामले में, आरोप तय होने पर। इस प्रकार देय अंतरिम मुआवजा चेक की राशि के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा; और

(ii) उक्त अधिनियम में एक नई धारा 148 अंतःस्थापित करना ताकि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 138 के अधीन दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील में

अपीलीय न्यायालय अपीलकर्ता को ऐसी राशि जमा कराने का आदेश दे सकेगा जो कि विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माने या प्रतिकर का न्यूनतम बीस प्रतिशत होगी।

4. विधेयक का उद्देश्य उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।"

8. उक्त अधिनियम की धारा 148 के तहत प्रावधान में संशोधन लाने के उद्देश्यों और कारणों के अवलोकन से पता चलता है कि देरी की रणनीति और अस्वीकृत चेक के प्राप्तकर्ता के साथ होने वाले अन्याय से बचने के लिए, चेक की विश्वसनीयता को मजबूत करने की दृष्टि से संशोधन लाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उक्त अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत दोषी ठहराए गए अपीलकर्ता/अभियुक्त को लंबित अपील की राशि का कुछ प्रतिशत जमा करने के लिए अपीलीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशो के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का **Surinder Singh Deswal Alias Colonel S.S. Deswal & Others Vs. Virender Gandhi (2019) 11 SSC 341** में पारित आदेश इस प्रकार है कि: –

"8. अब जहां तक अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किंए गए इस कथन का स बंध है कि संशोधित एनआई अधिनियम

की धारा 148 में प्रयुक्त भाषा पर विचार करने पर भी, अपीलीय न्यायालय अपीलकर्ता को ऐसी राशि जमा करने का आदेश दे सकता है जो ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए जुर्माने या मुआवजे का न्यूनतम 20% होगी और प्रयुक्त शब्द "करेगा" नहीं है और इसलिए अपीलकर्ता–अभियुक्त को ऐसी राशि जमा करने का निर्देश देने का विवेकाधिकार प्रथम अपीलीय न्यायालय में निहित है और अपीलीय न्यायालय ने इसे अनिवार्य माना है, जो कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार संशोधित एनआई अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों के विपरीत होगा, जहां तक संशोधित एनआई अधिनियम की धारा 148 को संशोधित_एनआई अधिनियम की संशोधित धारा 148 के उद्देश्यों और कारणों के कथन के साथ पढ़े जाने पर विचार करने की बात है, हालांकि यह सच है कि संशोधित एनआई अधिनियम की धारा 148 में प्रयुक्त शब्द "कर सकता है" है, इसे आम तौर पर एक "नियम" या "नियम" के रूप में समझा जाना चाहिए। अपीलीय न्यायालय द्वारा “करेगा” और जमा करने का निर्देश न देना एक अपवाद है जिसके लिए विशेष कारण बताए जाने हैं। इसलिए एनआई अधिनियम की संशोधित धारा 148 अपीलीय न्यायालय को अपील लंबित रहने तक अपीलकर्ता अभियुक्त को मूल शिकायतकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर या यहां तक कि दंड को निलंबित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 389 के तहत अपीलकर्ता अभियुक्त द्वारा दायर आवेदन पर जुर्माना या मुआवजे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के 20% से कम नहीं होने वाली राशि जमा करने का निर्देश देने का अधिकार देती है। उपरोक्त को इस तथ्य पर विचार करते हुए व्याख्यायित किया जाना आवश्यक है कि एनआई अधिनियम की संशोधित धारा 148 के अनुसार, ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए जुर्माने या मुआवजे का न्यूनतम 20% जमा करने का निर्देश दिया जाता है और यह राशि आदेश की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर या अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दिखाए गए पर्याप्त कारण के लिए निर्देशित की जा सकने वाली 30 दिनों से अधिक नहीं की अवधि के भीतर जमा की जानी है। इसलिए, यदि संशोधित एनआई अधिनियम की धारा 148 की इस तरह से व्याख्या की जाती है, तो यह न केवल एनआई अधिनियम की धारा 148 में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों की पूर्ति करेगा, बल्कि एनआई अधिनियम की धारा 138 में भी संशोधन करेगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम में समय–समय पर संशोधन किया गया है ताकि अन्य बातों के साथ–साथ चेक के अनादर के अपराध से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान किया जा सके। ताकि यह देखा जा सके कि अनादरित चेक के बेईमान धारकों द्वारा देरी की रणनीति के कारण अपील दायर करना और स्थगन प्राप्त करना आसान हो जाता है। कार्यवाही में, एक अस्वीकृत चेक के प्राप्तकर्ता के साथ अन्याय हुआ है, जिसे चेक का मूल्य प्राप्त करने के लिए अदालती कार्यवाही में काफी समय और संसाधन खर्च करने पड़ते हैं और यह देखते हुए कि इस तरह की देरी ने चेक लेनदेन की पवित्रता से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समझौता किया है, संसद ने एनआई अधिनियम की धारा 148 में संशोधन करना उचित समझा है। इसलिए, इस तरह की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या एनआई अधिनियम की धारा 148 और एनआई अधिनियम की धारा 138 में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों को आगे बढ़ाने में होगी ।

9. अब जहां तक अपीलकर्ताओं की ओर से सीआरपीसी की धारा 357(2) पर भरोसा करते हुए यह दलील दी गई है कि एक बार सजा के आदेश के खिलाफ अपील दायर हो जाने के बाद, अपील लंबित रहने तक जुर्माना वसूल नहीं किया जा सकता है और इसलिए जुर्माने का 25% जमा करने का ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था और *दिलीप एस. धनुकर (supra)* के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने के समर्थन में, उपरोक्त में कोई सार नहीं है। एनआई अधिनियम की संशोधित धारा 148 का प्रारंभिक शब्द यह है कि "दंड प्रक्रिया संहिता में निहित किसी भी बात के बावजूद ....."। इसलिए, सीआरपीसी की धारा 357(2) के प्रावधानों पर ध्यान दिए बिना, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती देने वाली प्रथम अपीलीय अदालत के समक्ष अपील लंबित रहने तक, अपीलीय अदालत को अपीलकर्ता को अपील लंबित रहने तक ऐसी राशि जमा करने का निर्देश देने की शक्ति प्रदान की जाती है, जो ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए जुर्माने या मुआवजे का न्यूनतम 20% होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए तथा इसमें वर्णित कारणों से, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. इस प्रकरण में, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा दोषसिद्धि के निर्णय की प्रतिलिपि के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि परिवाद प्रकरण दिनांक 09.08.2021 को दर्ज किया गया और निर्णय दिनांक 16.11.2022 को घोषित किया गया है । यह परिवाद प्रकरण 1881 के अधिनियम की धारा 148 (1) के प्रावधानो में संशोधन के पश्चात प्रस्तुत किया गया है । धारा 148 (1) के प्रावधान के त्वरित अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अपील प्रस्तुत होने के बाद, अपीलीय न्यायालय को 1881 के अधिनियम की धारा 148 (1) के अधीन ऐसी राशि जमा करने के लिए आदेश पारित करना होगा, जो विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दिए गए जुर्माने या प्रतिकर की राशि का न्यूनतम 20% होगा। इस प्रकार परिवादी को, अपीलार्थी/अभियुक्त को प्रतिकर की राशि में कुछ प्रतिशत, जो प्रतिकर का न्यूनतम 20 प्रतिशत होगा, की राशि को जमा करने के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान का निपटारा करते हुये यह पर्यवेक्षित किया है कि इस्तेमाल किया गया शब्द "may" है, इसे आम तौर पर "Rule" या "Shall" के रूप में समझा जाता है और अपीलीय न्यायालय द्वारा जमा करने का निर्देश नहीं देना एक अपवाद है जिसके लिए विशेष कारण बताए जाने चाहिए।

12. अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष कोई विशेष कारण नहीं

बताया है और न ही कोई विशेष अभिवचन किया है कि 20% की न्यूनतम जमा राशि में छूट क्यों दी जाए, लेकिन प्रस्तुत करने के लिए कि निचली अदालत ने अपीलकर्ता को शिकायतकर्ता द्वारा कोई आवेदन किए बिना मुआवजे की राशि का 20% जमा करने का निर्देश दिया है।

13. उपर्युक्त विवेचन के साथ–साथ 1881 के अधिनियम की धारा 148 के अधीन दिये गये प्रावधान और **Surinder Singh Deswal (supra)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय पर विचार करने पर मै विद्वान सत्र न्यायाधीश, जशपुर के द्वारा अपराधिक अपील संख्या 2022 का 33 में पारित आक्षेपित आदेश में कोई कमी या वैधता नहीं पाता हूं । अतः तदनुसार, यह याचिका सारहीन होने से अपास्त किये जाने योग्य है और अपास्त की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही
(पार्थ प्रतीम साहू)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।